

**कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, राजस्थान जयपुर**

क्रमांक फा. 1(9)सविरा/निशा/अ/RPSC/2018

दिनांक 27.09.2018

**आदेश**

निर्देशानुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार(अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(6)प्र.सु./अनु-3/2017 दिनांक 28.08.2018 की अनुपालना में कनिष्ठ सहायको से प्राप्त प्रतिवेदनाओ को निस्तारित करते हुये निम्नांकित कनिष्ठ सहायको का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित इनके गृह जिला कार्यालय में तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कार्मिक सर्वश्री/श्रीमती	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	नवीन पदस्थापन कार्यालय का नाम
1.	मोनू शर्मा	कनिष्ठ सहायक	विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियों, चित्तोडगढ़	उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, धौलपुर
2.	रोहित कुमावत	कनिष्ठ सहायक	विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियों, बीकानेर	उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, सीकर
3.	दिनेश कुमार यादव	कनिष्ठ सहायक	उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, सिरोही	प्रधान कार्यालय जयपुर
4.	अमित कुमार	कनिष्ठ सहायक	उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, राजसमन्द	विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियों, झुन्झुनू
5.	मुनेश कुमार यादव	कनिष्ठ सहायक	विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियों, प्रतापगढ़	उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, अलवर
6.	जगदीश प्रसाद स्वामी	कनिष्ठ सहायक	विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियों, पाली	उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, चुरू
7.	रनवीर सिंह	कनिष्ठ सहायक	उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, जैसलमेर	विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियों, चुरू
8.	विमलेश कुमार सैनी	कनिष्ठ सहायक	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, बाड़मेर	प्रधान कार्यालय जयपुर

9.	विष्णु	कनिष्ठ सहायक	उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, बांसवाड़ा	विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियों, करौली
----	--------	--------------	--	--

नोट:- उक्त कनिष्ठ सहायको का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनकी स्वयं की परिवेदना पर किया गया है । अतः यात्रा भत्ता/ज्योईनिंग टाईम देय नहीं है ।

( ओम प्रकारा )

संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन)

क्रमांक फा. 1(9)सविरा/निशा/अ/RPSC/2018

दिनांक 27.09.2018

प्रतिलिपी:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार(अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, राजस्थान जयपुर
4. अतिरिक्त /उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, .....
5. क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी/विशेष लेखा परीक्षक , सहकारी समितियों..... ।
6. लेखा शाखा ( व्यय ) प्रधान कार्यालय जयपुर को अतिरिक्त प्रति सहित ,
7. श्री .....कनिष्ठ सहायक द्वारा:- उप रजिस्ट्रार / विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियों,..... को पालनार्थ ।
8. रक्षित पत्रावली

( ओम प्रकारा )  
संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन)